2024 का विधेयक संख्यांक 74.

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

सिविल विमानन महानिदेशालय

3. सिविल विमानन महानिदेशालय ।
4. निदेश जारी करने की सिविल विमानन के महानिदेशक की शक्ति ।

अध्याय 3

सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो

5. सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो ।
6. सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक की निदेश जारी करने की शक्ति ।

अध्याय 4

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

7. वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

8. केन्द्रीय सरकार का अधीक्षण ।
9. केन्द्रीय सरकार की धारा 4 या धारा 6 के अधीन पारित आदेशों के पुनर्विलोकन की शक्ति ।
10. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
11. अभिसमय को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
12. केन्द्रीय सरकार की दुर्घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए नियम बनाने की शक्ति ।
13. केन्द्रीय सरकार की लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियम बनाने की शक्ति ।
14. लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपातकालीन शक्तियां ।
15. केन्द्रीय सरकार की आपात में आदेश देने की शक्ति ।
16. बिना दावा वाली संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा तथा पुन: परिदान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
17. वायुयान को निरुद्ध करने की शक्ति ।
18. केन्द्रीय सरकार की भवन निर्माण, वृक्षारोपण और सदृश आदि, के प्रतिषेध या विनियमन की शक्ति ।

खंड

19. केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को निर्बंधित, निलंबित या रद्द करने की शक्ति ।
20. केन्द्रीय सरकार की कुछ वायुयानों को छूट देने की शक्ति ।
21. केन्द्रीय सरकार की प्रत्यायोजित करने की शक्ति ।

अध्याय 6

हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर का संदाय

22. प्रतिकर का संदाय ।
23. प्रतिकर की बाबत पंचाटों की अपीलें ।
24. मध्यस्थ को सिविल न्यायालयों की कतिपय शक्तियों का होना ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

25. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।
26. संकटकारी उड़ान के लिए शास्ति ।
27. धारा 4 या धारा 6 के अधीन दिए गए निदेशों के अनुपालन न करने के लिए शास्ति ।
28. धारा 18 के अधीन दिए गए निदेशों के अनुपालन न करने के लिए शास्ति ।
29. अपराधों के दुष्प्रेरण और प्रयतित अपराधों के लिए शास्ति ।
30. अपराधों का शमन ।
31. अपराधों का संज्ञान ।
32. शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।
33. अपील ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

34. नियमों का प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाना ।
35. नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
36. न्यायालय की समपहरण का आदेश देने की शक्ति ।
37. ध्वंस और उद्धारण ।
38. उन वायुयानों पर जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पेटेन्टकृत आविष्कार का उपयोग ।
39. कतिपय वादों का वर्जन ।
40. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
41. इस अधिनियम के लागू होने की व्यावृत्ति ।
42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
43. निरसन और व्यावृत्ति ।

2024 का विधेयक संख्यांक 74.

[दि भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

वायुयान की परिकल्पना, विनिर्माण, अनुरक्षण, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात और निर्यात के नियंत्रण के विनियमन का और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुयान अधिनियम, 2023 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह—

(क) भारत के नागरिकों को जहां कहीं वे हों ;

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान को और उस पर स्थित व्यक्तियों को जहां कहीं वे हों ;

(ग) भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत वायुयान को किन्तु जो तत्समय भारत में या भारत के ऊपर हों और उस पर स्थित व्यक्तियों को; और

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है किन्तु उसके कारबार का मुख्य स्थान या स्थायी निवास भारत में है, प्रचालित किसी वायुयान को, लागू होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "विमानक्षेत्र" से जल या थल का निश्चित या सीमित ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो पूर्णत: या भागत: वायुयान के उतरने या उसके प्रस्थान के लिए आशयित है और इसके अन्तर्गत उस पर और उससे जुड़े हुए सभी भवन, शेड, यान, प्रस्तम्भ और अन्य संरचनाएं आती हैं ;

(2) किसी विमानक्षेत्र के संबंध में, "विमानक्षेत्र निर्देश बिन्दु" से वह अभिहित बिन्दु अभिप्रेत है जो वायुयान के प्रस्थान या उतरने के लिए आरक्षित विमानक्षेत्र के भाग में ज्यामितीय केन्द्र पर या उसके समीप क्षैत्रिज समतल में स्थापित किया जाए ;

(3) "वायुयान" से ऐसी कोई मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रतिक्रिया से भिन्न, वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलम्ब प्राप्त कर सकती है ;

(4) "वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो" से धारा 7 के अधीन गठित वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो अभिप्रेत है ;

(5) "सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो" से धारा 5 के अधीन गठित सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है ;

(6) "परिकल्पना" से आंकड़ों और सूचना का ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है, जो उड़यन-योग्यता के अवधारण के प्रयोजनों के लिए वैमानिक उत्पाद प्रकार आकृति, उसके संबंधित पुर्जों और साधित्रों को परिभाषित करता है ;

(7) "सिविल विमानन महानिदेशालय" से धारा 3 के अधीन गठित सिविल विमानन महानिदेशालय अभिप्रेत है ;

(8) "निर्यात" से भारत से बाहर ले जाना अभिप्रेत है ;

(9) "आयात" से भारत में लाना अभिप्रेत है ;

(10) "रखरखाव" से वायुयान, इंजन, नोदक या संबंधित पुर्जों पर, वायुयान, इंजन, नोदक या संबंधित पुर्जे की उड़ुयन-योग्यता की निरंतरता को, जिसके अंतर्गत ओवरहॉल, निरीक्षण, प्रतिस्थापन, त्रुटि सुधार, और परिवर्तन या मरम्मत का प्रतिरूप भी है, सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना अभिप्रेत है ;

(11) "विनिर्माण" से ऐसे कार्य करना अभिप्रेत है जिनमें वायुयान, इंजन, नोदक या संबंधित पुर्जों और उसकी प्रयोज्य परिकल्पना की अनुरूपता में साधित्र जिसके अंतर्गत आदिप्ररूप भी है संमजन या उत्पादन अन्तर्वलित है ;

(12) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

सिविल विमानन महानिदेशालय

1934 का 22

सिविल विमानन महानिदेशालय ।

3. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन गठित सिविल विमानन महानिदेशालय, इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए सिविल विमानन महानिदेशक के रूप में पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(2) सिविल विमानन महानिदेशालय, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत, सुरक्षा अन्वेक्षा और विनियामक कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) सिविल विमानन महानिदेशालय का प्रशासन, सिविल विमानन महानिदेशक में निहित होगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी, कि सिविल विमानन महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य हो सकेगी ।

निदेश जारी करने की सिविल विमानन के महानिदेशक की शक्ति ।

4. (1) सिविल विमानन का महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषत: सशक्त कोई अन्य अधिकारी, समय-समय पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ड), खंड (छ), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण), खंड (त), खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (भ), खंड (यख), खंड (यग), खंड (यघ), और खंड (यच) में विनिर्दिष्ट किसी विषय की बाबत, ऐसी किसी दशा में जब सिविल विमानन के महानिदेशक या किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के हित में या वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, किसी विमानक्षेत्र का उपयोग करने वाले या वायुयान प्रचालनों, वायु यातायात नियंत्रण, विमानक्षेत्र का अनुरक्षण और प्रचालन, संचार, नौपरिवहन, निगरानी और वायु यातायात प्रबंध कार्यों के विरुद्ध सिविल विमानन की सुरक्षा में लगे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, निदेश जारी कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक निदेश का अनुपालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिसको या जिन्हें ऐसा निदेश जारी किया गया है ।

अध्याय 3

सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो

1934 का 22

सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो ।

5. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन गठित सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो, इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए सिविल विमानन महानिदेशक के रूप में पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(2) सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट सिविल विमानन सुरक्षा से संबंधित विषयों की बाबत, सुरक्षा अन्वेक्षा और विनियामक कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो का प्रशासन, सिविल विमानन और सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक में निहित होगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी, कि सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य हो सकेगी ।

सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक की निदेश जारी करने की शक्ति ।

6. (1) सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी, समय-समय पर आदेश द्वारा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ण), खंड (यङ) और खंड (यछ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं विषयों की बाबत, उस दशा में, जहां सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक या ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के हित में या सिविल विमानन प्रचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ऐसा करना आवश्यक है, किसी हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले, या वायुयान प्रचालन, वायु यातायात नियंत्रण, हवाई अड्डे के रखरखाव और प्रचालन; या विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध सिविल विमानन सुरक्षा में नियोजित किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को निदेश जारी कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किया जाता है, ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा ।

अध्याय 4

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ।

7. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन गठित वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी । 1934 का 22

(2) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट वायुयान दुर्घटनाओं या घटनाओं के अन्वेषण से संबंधित विषयों की बाबत, कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का प्रशासन, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक में निहित होगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी, कि वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य हो सकेगी ।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

केन्द्रीय सरकार का अधीक्षण ।

8. सिविल विमानन का महानिदेशक, सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा, जिसे क्रमशः धारा 3 की उपधारा (2), धारा 5 और धारा 7 के अधीन आने वाले किन्हीं विषयों पर इनमें से प्रत्येक संगठन को, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, निदेश जारी करने की शक्ति होगी ।

केन्द्रीय सरकार की धारा 4 या धारा 6 के अधीन पारित आदेशों के पुनर्विलोकन की शक्ति ।

9. (1) जहां केन्द्रीय सरकार, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, किसी व्यक्ति से अभ्यावेदन की प्राप्ति पर या अन्यथा धारा 4 के अधीन सिविल विमानन महानिदेशक या धारा 6 के अधीन सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और इस प्रकार पारित आदेश को विखंडित या उपांतरित करने के लिए संबद्ध महानिदेशक को ऐसे निदेश, जो वह उपयुक्त समझे, जारी कर सकेगी ।

(2) यथास्थिति सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक निदेश का पालन करेगा और या तो यथास्थिति धारा 4 या धारा 6 के अधीन अपने द्वारा इस प्रकार पारित किए गए आदेश को विखंडित या उपांतरित करेगा ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

10. (1) धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग के विनिर्माण, अनुरक्षण, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात या निर्यात का विनियमन करने वाले तथा वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम से या के अधीन प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करेंगे;

(ख) वायु परिवहन सेवा की स्थापना को प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन और तदनुसार के सिवाय ऐसी सेवाओं का विनियमन और वायुयान का ऐसी सेवाओं में प्रयोग का प्रतिषेध ;

(ग) सिविल विमानन और वायु परिवहन सेवाओं का आर्थिक विनियमन, जिसके अन्तर्गत वायु परिवहन सेवाओं के प्रचालकों के टैरिफ का भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट टैरिफ से भिन्न अनुमोदन, अननुमोदन या पुनरीक्षण है वे अधिकारी या प्राधिकारी जो इस निमित्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे; ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और वे बातें जिन्हें वे ध्यान में रखेंगे; ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपीलें और ऐसे टैरिफ से संबंधित अन्य सभी विषय ।

2008 का 27

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "टैरिफ" के अन्तर्गत यात्रियों या माल के वायु परिवहन के लिए किराया, रेट मूल्यांकन प्रभार और अन्य प्रभार, ऐसे किराए, रेट, मूल्यांकन प्रभारों और अन्य प्रभारों तथा रेटों को प्रभावित करने वाले नियम, विनियम, पद्धतियां या सेवाएं और यात्री या स्थौरा विक्रय अभिकर्ताओं को संदेय कमीशन के निबन्धन और शर्तें हैं ;

(घ) जानकारी, जो वायु परिवहन सेवा की स्थापना को प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति के आवेदक या धारक, ऐसे प्राधिकारियों को जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, देंगे;

(ङ) विमानक्षेत्रों का अनुज्ञापन, निरीक्षण और विनियमन, वे शर्तें जिनके अधीन विमानक्षेत्रों का अनुरक्षण किया जाएगा और अननुज्ञप्त विमानक्षेत्रों के उपयोग का प्रतिषेध या विनियमन;

(च) वह फीस जो उन विमानक्षेत्रों से प्रभारित की जा सकेगी जिनको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 या भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 लागू नहीं होता है या लागू नहीं किया जाता है; 1994 का 55 2008 का 27

(छ) वायुयान की परिकल्पना, विनिर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण का और ऐसे स्थानों का जहां वायुयानों का विनिर्माण या मरम्मत की जा रही है या जहां वे रखे गए हैं, निरीक्षण और नियंत्रण;

(ज) वायुयान को रजिस्टर करना और चिह्नित करना ;

(झ) वे शर्तें जिनके अधीन वायुयान उड़ाए जा सकेंगे या यात्री, डाक या माल ले जा सकेंगे अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकेंगे और वायुयान में रखे जाने वाले प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्तियां या दस्तावेज ;

(ञ) इस अधिनियम के और तद्धीन नियमों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए वायुयान या वायुयान की परिकल्पना, विनिर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए किसी सुविधा, का निरीक्षण ;

(ट) वायुयान के प्रचालन, विनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण में नियोजित व्यक्तियों का अनुज्ञापन ;

(ठ) वायु यातायात नियंत्रण में लगे व्यक्तियों का अनुज्ञापन ;

(ड) हवाई अड्डे के लिए अनुज्ञप्ति देना, उसका निरीक्षण और विनियमन, वे शर्तें जिसके अधीन हवाई अड्डे का रखरखाव किया जा सकेगा तथा अनुज्ञप्ति रहित हवाई अड्डों के उपयोग का प्रतिषेध या विनियमन ,

(ढ) संचार, नौपरिवहन का प्रमाणन, निरीक्षण और विनियमन तथा वायु यातायात प्रबन्ध प्रसुविधाओं की निगरानी ;

(ण) विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध सिविल विमानन की सुरक्षा के उपाय ;

(त) वायु दिक्चालन सेवाएं, जो कि वैमानिक सूचना सेवाएं, वैमानिक चार्ट और मानचित्र सेवाएं, वैमानिक धातुकर्म सेवाएं, तलाशी और बचाव सेवाएं, वायु दिक्चालन सेवाओं के लिए प्रक्रिया और वायुयान प्रचालन जो खंड (ढ) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं, और वायु दिक्चालन सेवाओं से संबंधित कोई अन्य विषय, हैं ;

(थ) वे वायुमार्ग जिनसे और वे शर्तें जिनके अधीन वायुयान भारत में प्रवेश या भारत से प्रस्थान कर सकेंगे अथवा भारत के ऊपर उड़ सकेंगे और वे स्थान जहां वायुयान उतरेंगे ;

(द) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर, या तो पूर्णतया या विनिर्दिष्ट समयों पर या विनिर्दिष्ट शर्तों और अपवादों के अध्यधीन वायुयान की उड़ान का प्रतिषेध ;

(ध) वायुमार्ग के बीकनों, विमानक्षेत्र के प्रकाश और विमानक्षेत्रों के निकट या उन पर या वायुमार्गों के निकट, या उन पर प्रकाश का प्रदाय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण ;

(न) विमानक्षेत्रों के निकट की प्राइवेट सम्पत्ति पर या वायुमार्गों के निकट में या उन पर ऐसी सम्पत्ति के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा प्रकाश का प्रतिष्ठापन और उनका अनुरक्षण, ऐसे प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय और ऐसे प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति पर प्रवेश का अधिकार भी है ;

(प) वायुयान द्वारा या को संसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत और संकेत भेजने में प्रयुक्त उपकरण ;

(फ) वायुयान में किसी विनिर्दिष्ट वस्तु या पदार्थ के वहन का प्रतिषेध और विनियमन ;

(ब) जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ किए जाने वाले उपाय और ले जाए जाने वाले उपकरण ;

(भ) लाग बुक जारी करना और रखना ;

(म) अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के जारी करने या उसके नवीकरण की रीति और शर्तें, उससे सम्बन्धित दी जानी वाली परीक्षाएं, और परीक्षण, ऐसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या लाग बुक का प्ररूप, अभिरक्षा, पेश करना, पृष्ठांकन, रद्दकरण, निलम्बन या अभ्यर्पण ;

(य) इस अधिनियम के अधीन किए गए, जारी किए गए या नवीकरण किए गए किसी निरीक्षण, परीक्षा, परीक्षण, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में प्रभार्य फीस ;

(यक) वायुयान के, या वायुयान के प्रचालन, विनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण के लिए नियोजित व्यक्तियों की अर्हताओं के सम्बन्ध में भारत से अन्यत्र जारी किए गए प्रमाणपत्रों और अनुज्ञप्तियों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता देना ;

(यख) विमानक्षेत्र निर्देश बिन्दु से दस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर पशुओं का वध करने और खाल उतारने का तथा कूड़ा, गन्दगी और अन्य प्रदूषित एवं हानिकर वस्तुएं डालने का प्रतिषेध ;

(यग) हवाई-अड्डे के चारों ओर की सतहों को सीमित करने वाली बाधाओं, संसूचना और दिक्चालन सेवा सुविधा का विनियमिन ;

(यघ) बचाव अन्वेक्षा और विनियामक कृत्य ;

(यङ) सुरक्षा अन्वेक्षा और उसके विनियामक कृत्य ;

(यच) वह क्षेत्र और रीति, जिसमें सिविल विमानन महानिदेशक बचाव अन्वेक्षा और विनियामक कृत्यों के लिए निदेश जारी कर सकेंगे और ऐसे निदेशों के अनुपालन से छूट अनुदत्त कर सकेंगे ;

(यछ) वह क्षेत्र और रीति, जिसमें सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक सुरक्षा और विनियामक कृत्यों के लिए निदेश जारी कर सकेंगे और ऐसे निदेशों के अनुपालन से छूट अनुदत्त कर सकेंगे ;

(यज) धनीय शास्ति की रकम का अवधारण ; और

(यझ) इस उपधारा में निर्दिष्ट मामलों के समनुषंगी या आनुषंगिक कोई मामला ।

अभिसमय को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

11. (1) धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अन्तरराष्ट्रीय सिविल विमानन से संबंधित, समय-समय पर यथासंशोधित, अभिसमय को (जिसमें, अन्तरराष्ट्रीय मानकों और सिफारिश की गई पद्धतियों से संबंधित, उसका कोई उपाबन्ध भी है) क्रियान्वित करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

(2) दूर-संचार अधिनियम, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 34 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अंतरराष्ट्रीय दूर-संचार अभिसमय के लागू उपबंधों के अनुसार ऐसे नियम बना सकेगी, जो वायुयान के प्रचालन और रखरखाव में नियोजित व्यक्तियों को रेडियो दूरभाष प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति, जारी किए जाने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो । 2023 का 44

केन्द्रीय सरकार की दुर्घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) भारत में या भारत के ऊपर किसी भी वायुयान ; या

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के कहीं भी,

विमानचालन के दौरान या विमानचालन से उद्भूत दुर्घटना या घटना के अन्वेषण का उपबंध करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी दुर्घटना या घटना की सूचना दी जाएगी ;

(ख) अन्वेषण या दुर्घटनाओं या घटनाओं से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्ध ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनार्थ उपांतरों सहित या रहित लागू कर सकेंगे;

(ग) अन्वेषण के लंबित रहने तक दुर्घटनाग्रस्त या घटनाग्रस्त वायुयान तक पहुंचने और हस्तक्षेप करने का प्रतिषेध कर सकेंगे और जहां तक अन्वेषण के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो किसी व्यक्ति को यह प्राधिकार दे सकेंगे कि वह ऐसे किसी वायुयान तक पहुंच सकेगा, उसकी परीक्षा कर सकेगा, उसे हटा सकेगा, उसके परिरक्षण के लिए अध्युपाय कर सकेगा, या अन्य कार्यवाही कर सकेगा ; और

(घ) जब अन्वेषण से यह प्रतीत हो कि किसी अनुज्ञप्ति पर कार्यवाही की जानी चाहिए तब इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त या मान्यताप्राप्त किसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के रद्दकरण, निलम्बन, पृष्ठांकन या अभ्यर्पण को प्राधिकृत या अपेक्षित कर सकेंगे और ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति के पेश करने का उपबन्ध कर सकेंगे ।

केन्द्रीय सकार की लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

13. केन्द्रीय सरकार, धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विमानक्षेत्र पर आने वाले या स्थित होने वाले किसी वायुयान से लोक स्वास्थ्य को किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के प्रवेश या फैलाने से होने वाले संकट को रोकने के लिए और किसी विमानक्षेत्र से प्रस्थान करने वाले किसी वायुयान के माध्यम से संक्रमण या संसर्ग के प्रवहण को रोकने के लिए और विशिष्ट रूप से और इस उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी वायुयान या विमानक्षेत्र या किसी विनिर्दिष्ट विमानक्षेत्र की बाबत उन विषयों का उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी जिनके लिए भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (त) के उपखंड (i) से लेकर उपखंड (viii) तक के अधीन यानों या पत्तनों के विषय में नियम बनाए जा सकते हैं । 1908 का 15

लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपातकालीन शक्तियां ।

14. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत या उसके किसी भाग में कोई खतरनाक महामारी फैली हुई है या फैलने की आशंका है और वायुयान द्वारा लोक स्वास्थ्य को उस रोग के प्रवेश या फैलने से होने वाले संकट को रोकने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के सामान्य उपबन्ध अपर्याप्त हैं तो केन्द्रीय सरकार ऐसे संकट

को रोकने के लिए ऐसे अध्युपाय कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) ऐसे किसी मामले में केन्द्रीय सरकार धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वायुयान और उसमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों या ले जाई जाने वाली वस्तुओं और विमानक्षेत्रों की बाबत, ऐसे अस्थायी नियम बना सकेगी जैसे वह उन परिस्थितियों में आवश्यक समझे ।

(3) धारा 34 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्ति नियमों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाने की शर्तों के अध्यधीन न होगी, किन्तु ऐसे नियम अधिसूचना की तारीख से तीन मास से अधिक प्रवृत नहीं रहेंगे :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार विशेष आदेश से उन्हें अतिरिक्त कालावधि या कालावधियों तक प्रवृत्त रख सकेगी, जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक नहीं होगी ।

केन्द्रीय सरकार की आपात में आदेश देने की शक्ति ।

15. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक रक्षा और प्रशान्ति के हित में निम्नलिखित आदेशों में से सभी या किसी का जारी किया जाना समीचीन है तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) इस अधिनियम के अधीन दी गई सभी या किसी भी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र को या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट करना ठीक समझे, रद्द या निलम्बित कर सकेगी ;

(ख) सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर सभी वायुयानों, किसी वायुयान या किसी वर्ग के वायुयान की उड़ान का या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट करना ठीक समझे, प्रतिषेध कर सकेगी अथवा उसे ऐसी रीति में विनियमित कर सकेगी जो आदेश में अन्तर्विष्ट हो ;

(ग) किसी विमानक्षेत्र, वायुयान कारखाना, उड़डयन विद्यालय या क्लब या वह स्थान जहां वायुयान या उनका कोई वर्ग या प्रकार विनिर्मित होते हैं, मरम्मत किए जाते हैं या रखे जाते हैं, आत्यंतिक रूप से या सशर्त प्रतिषेध कर सकेगी या विनियमित कर सकेगी ;

(घ) यह निदेश दे सकेगी कि कोई वायुयान या वायुयान का वर्ग या कोई विमानक्षेत्र, वायुयान कारखाना, उड़डयन विद्यालय या क्लब, या वह स्थान जहां वायुयान विर्निमित किए जाते हैं, मरम्मत किए जाते हैं या रखे जाते हैं, उस मशीन, संयंत्र, सामग्री या वस्तुओं सहित जो वायुयान के प्रचालन, विनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण में प्रयुक्त होती हैं या तो तुरन्त या विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे प्राधिकारी को और उस रीति में जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, परिदत्त की जाएगी जिससे कि लोक सेवा के लिए उस सरकार के व्ययनाधीन रहे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम में किसी बात से असंगत होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश प्रभावी होगा ।

(3) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के कारण कोई प्रत्यक्ष क्षति या हानि होती है तो उसे उतना प्रतिकर दिया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित होगा जो इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए ।

(4) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुपालन कराने के लिए ऐसे कदम उठाना प्राधिकृत कर सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

(5) जो कोई जानबूझकर उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करेगा, या अनुपालन करने में असफल रहेगा या उसके उल्लंघन में कोई कार्य करेगा, वह

कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा और वह न्यायालय जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह निदेश दे सकेगा कि वह वायुयान या वस्तु (यदि कोई हो) जिसकी बाबत वह अपराध किया गया है, या ऐसी वस्तु का कोई भाग, केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगा ।

बिना दावा वाली संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा तथा पुन: परिदान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

16. केन्द्रीय सरकार, धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें उस सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा तथा पुन: परिदान सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे जो किसी विमानक्षेत्र पर अथवा किसी विमानक्षेत्र पर किसी वायुयान में उचित अभिरक्षाविहीन पाई जाए । ऐसे किन्हीं नियमों में विशिष्टत: निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा—

(क) ऐसी किसी सम्पत्ति को उसके हकदार व्यक्ति को पुन: परिदान करने से पूर्व, उस सम्पत्ति की बाबत प्रभारों का संदाय ; तथा

(ख) जहां ऐसी सम्पत्ति उसके हकदार व्यक्ति को, नियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व, पुन: परिदत्त न की गई हो, उस दशा में सम्पत्ति का निपटान ।

वायुयान को निरुद्ध करने की शक्ति ।

17. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी किसी वायुयान को निरुद्ध कर सकेगा यदि ऐसे प्राधिकारी की राय में—

(क) आशयित उड़ान की प्रकृति को देखते हुए ऐसे वायुयान की उड़ान से उस वायुयान में स्थित व्यक्तियों को या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को या सम्पत्ति को खतरा हो सकता है ; या

(ख) ऐसा निरोध, इस अधिनियम या ऐसे वायुयान को लागू होने वाले नियमों के उपबन्धों का अनुपालन कराने के लिए आवश्यक है, या धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (थ) या खंड (द) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन रोकने के लिए अथवा किसी न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस शक्ति के प्रयोग के समनुषंगी या आनुषंगिक सभी मामलों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार की भवन निर्माण, वृक्षारोपण और सदृश आदि के प्रतिषेध या विनियमन की शक्ति ।

18. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) निदेश दे सकेगी कि विमानक्षेत्र निर्देश बिन्दु से बीस किलोमीटर से अनधिक ऐसे अर्धव्यास के भीतर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी भूमि पर किसी भवन या संरचना का निर्माण अथवा परिनिर्माण नहीं किया जाएगा, या वृक्ष रोपण नहीं किया जाएगा तथा यदि ऐसा कोई भवन, संरचना या वृक्ष ऐसी भूमि पर हो तो वह ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी कालावधि के भीतर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, ऐसे भवन या संरचना को तुड़वाने अथवा ऐसे वृक्ष को कटवाने का निदेश भी दे सकेगी ;

(ख) निदेश दे सकेगी कि विमानक्षेत्र निदेश बिन्दु से बीस किलोमीटर से अनधिक अर्धव्यास के भीतर किसी भूमि पर उतनी ऊंचाई से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक ऊंचे किसी भवन या संरचना का निर्माण या परिनिर्माण नहीं किया जाएगा, अथवा ऐसा कोई वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा जिसकी

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऊंचाई से अधिक ऊंचा उगने की संभाव्यता है या जो साधारणतया ऐसी ऊंचाई से अधिक ऊंचा उगता है, और यदि ऐसी भूमि पर किसी भवन या संरचना या वृक्ष की ऊंचाई विनिर्दिष्ट ऊंचाई से अधिक हो तो वह ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ऐसी कालावधि के भीतर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी ऊंचाई कम करने का निदेश दे सकेगी ताकि वह विनिर्दिष्ट ऊंचाई से अधिक न रहे ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अर्धव्यास विनिर्दिष्ट करते समय तथा उक्त खंड (ख) के अधीन किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई विनिर्दिष्ट करते समय, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित का ध्यान रखेगी,—

(क) विमानक्षेत्र में प्रचालित या प्रचालन के लिए आशयित वायुयानों का प्रकार ; अथवा

(ख) वायुयानों का प्रचालन शासित करने वाले अन्तरराष्ट्रीय मानक और सिफारिश की गई पद्धतियां ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी को अथवा उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ऐसे भवन या संरचना को तुड़वाने या ऐसे वृक्ष को कटवाने का अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने का निदेश देने वाली कोई अधिसूचना जारी कर दी गई हो, वहां ऐसे निदेशयुक्त अधिसूचना की एक प्रति भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी पर अथवा उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति पर, यथास्थिति,—

(क) ऐसे स्वामी या व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त करके ; अथवा

(ख) यदि वह इस प्रकार परिदत्त या निविदत्त नहीं की जा सकती हो तो, ऐसे स्वामी या व्यक्ति के किसी अधिकारी को अथवा ऐसे स्वामी या व्यक्ति के परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को परिदत्त या निविदत्त करके अथवा अधिसूचना की एक प्रति उस परिसर के, जिसमें ऐसे स्वामी या व्यक्ति का अन्तिम बार निवास किया जाना अथवा कारबार चलाना अथवा अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, बाहरी द्वार पर अथवा सहजदृश्य किसी भाग पर लगाकर; अथवा इन साधनों द्वारा तामील करने में असफल रहने की दशा में या डाक अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा परिदान करके ;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किन्हीं साधनों द्वारा सेवा की तामील में असफलता की दशा में डाक द्वारा,

तामील की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी निदेश का अनुपालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकर होगा ।

केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को निर्बंधित, निलंबित या रद्द करने की शक्ति ।

19. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी भी उपबंध या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए किसी निदेश का उल्लंघन करता है तो केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी कोई निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा या अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को जारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित या रद्द कर सकेगा ।

(2) यह समाधान हो जाने पर कि क्रमशः इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए निदेशों का किसी व्यक्ति

द्वारा उल्लंघन किया गया है तो अधिनियम, नियम या निदेश, जिसका उल्लंघन किया गया है, की प्रकृति और ऐसे निलंबन या रद्द करने या निर्बंधन अधिरोपित करने के कारणों का कथन करते हुए केन्द्रीय सरकार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को जारी,—

(i) अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को निलंबित या रद्द कर सकेगा ; या

(ii) अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों में उन आधारों को, जिन पर किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को निलंबित किया जा सकेगा या वे परिस्थितियां, जिनके अधीन तुरंत प्रभाव से ऐसे निर्बंधनों को अधिरोपित किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार की कुछ वायुयानों को छूट देने की शक्ति ।

20. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उसमें उपबंधित कारणों से किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकेगी या यह निदेश दे सकेगी कि वे ऐसे वायुयानों या व्यक्तियों को ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन लागू होंगे जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति ।

21. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य (इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) शक्तियां महानिदेशक, नागर विमानन या महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

अध्याय 6

हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर का संदाय

प्रतिकर का संदाय ।

22. (1) यदि धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी निदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई हानि या नुकसान होता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाएगा । प्रतिकर की रकम, इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित रीति से और सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) जहां प्रतिकर की रकम सहमति से नियत की जा सकती हो, वहां वह ऐसी सहमति के अनुसार संदत्त की जाएगी ;

(ख) जहां ऐसी सहमति न हो सके, वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा इस रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकेगी ;

(ग) किसी विशिष्ट मामले में, केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान की प्रकृति की बाबत पर्याप्त ज्ञान हो, नामनिर्देशन कर सकेगी और जहां ऐसा नामनिर्देशन किया जाता है वहां प्रतिकर का हकदार व्यक्ति भी उसी प्रयोजनार्थ एक असेसर नामनिर्दिष्ट कर

सकेगा ;

(घ) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारम्भ पर, केन्द्रीय सरकार और व्यक्ति, जिसको प्रतिपूर्ति की जानी है, यह कथन करेंगे कि उनकी अपनी-अपनी राय में प्रतिकर की उचित रकम क्या है ;

(ङ) विवाद की सुनवाई के पश्चात् मध्यस्थ प्रतिकर की रकम, जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो, अवधारित करते हुए पंचाट करेगा और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसे या जिन्हें ऐसा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा, और पंचाट करते समय वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का तथा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा—

(i) प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को उसके उपार्जनों में हुआ नुकसान ;

(ii) यदि धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी निदेश के परिणामस्वरूप, ऐसी अधिसूचना के जारी होने के ठीक पश्चात् भूमि का बाजार मूल्य कम हो जाता है, तो ऐसे बाजार मूल्य में हुई कमी ;

(iii) यदि किसी निदेश के अनुसरण में कोई भवन या संरचना तुड़वा दी गई हो या कोई वृक्ष कटवा दिया गया हो अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम कर दी गई हो तो ऐसे तुड़वाने, कटवाने या कम करने के परिणामस्वरूप प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को हुआ नुकसान तथा ऐसे तुड़वाने, कटवाने या कम करने के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय ;

(iv) यदि प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को अपना निवास-स्थान या कारबार का स्थान परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़े तो वह युक्तियुक्त व्यय जो उसे ऐसे परिवर्तन के कारण उपगत करना पड़े ;

(च) यदि प्रतिकर के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों की बाबत कोई विवाद है तो मध्यस्थ ऐसे विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि मध्यस्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार हैं तो वह प्रतिकर की रकम को ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रभाजित करेगा ;

1996 का 26

(छ) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन मध्यस्थ द्वारा किए गए प्रत्येक पंचाट में, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों में उपगत खर्चे की रकम, और खर्चे किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में संदत्त किए जाएंगे यह भी, कथित होगा ।

प्रतिकर की बाबत पंचाटों की अपीलें ।

23. कोई व्यक्ति जो मध्यस्थ द्वारा धारा 22 के अधीन किए गए पंचाट से व्यथित है ऐसे पंचाट की तारीख से तीस दिन के भीतर उस उच्च न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता में विमानक्षेत्र स्थित हो, अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल नहीं कर सका था तो वह उक्त तीस दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा ।

मध्यस्थ को सिविल न्यायालयों की कतिपय शक्तियों का होना ।

24. धारा 22 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ को, इस अधिनियम के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियां करते समय, निम्नलिखित विषयों की बाबत, वे सभी शक्तियां होंगी जो

1908 का 5

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

25. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (फ) के अधीन बनाए गए, वायुयान में आयुध, विस्फोटक या अन्य संकटकारी माल के वहन का विनियमन या प्रतिषेध करने वाले किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या जब उस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे मामले के बारे में सूचना देने की अपेक्षा की जाए ऐसी सूचना देगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, और यदि वह स्वामी नहीं है तो स्वामी भी (यदि वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध बिना उसकी जानकारी, सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है) कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति विमानक्षेत्र निर्देश बिंदु से दस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर पशुओं का वध करने और खाल उतारने का तथा कूड़ा, गंदगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक वस्तुएं डालने का प्रतिषेध करने वाले, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (यख) के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपराध संज्ञेय होगा । 2023 का 46

(4) कोई नियम बनाने में या धारा 10, धारा 11 धारा 12, धारा 13, धारा 14 या धारा 17 के अधीन नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

संकटकारी उड़ान के लिए शास्ति ।

26. जो कोई किसी वायुयान को जानबूझकर ऐसी रीति से उड़ाएगा जिससे जल या थल या वायु में किसी व्यक्ति या किसी सम्पति को संकट कारित हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

धारा 4 या धारा 6 के अधीन दिए गए निदेशों के अनुपालन न करने के लिए शास्ति ।

27. यदि कोई व्यक्ति धारा 4 या धारा 6 के अधीन दिए गए किसी निदेश के अनुपालन में जानबूझकर चूक करेगा तो वह कारावास से, जिसकी कालावधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

धारा 18 के अधीन दिए गए निदेशों के अनुपालन न करने के लिए शास्ति ।

28. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 18 के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी निदेश के अनुपालन में जानबूझकर चूक करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में, के किसी निदेश के अनुसरण में, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि में, किसी भवन या संरचना को तुड़वाने में या किसी वृक्ष को कटवाने में अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने में, चूक करेगा तो, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे भवन या संरचना को तुड़वाने या ऐसे वृक्ष को कटवाने अथवा ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति, धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए होगी ।

अपराधों के दुष्प्रेरण और प्रयत्न अपराधों के लिए शास्ति ।

29. जो कोई इस अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करेगा या ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दशा में कोई काम करेगा वह अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड का दायी होगा ।

अपराधों का शमन ।

2023 का 46

30. (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है या कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है, का, यथास्थिति, महानिदेशक, नागर विमानन या महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ऐसी रीति में और एक करोड़ रुपए से अनधिक रकम के लिए, जो विहित की जाए, शमन किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार या समान अपराध कारित करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर, जिसका पूर्व में शमन किया गया था या जिसके लिए व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराया गया था, कारित किसी अपराध को लागू नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का शमन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(4) किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) जब किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व किया जाता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा उस अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(6) जब किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित होने के पश्चात् किया जाता है तो ऐसे शमन को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के नोटिस में लिखित में लाया जाएगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन का ऐसा नोटिस दिए जाने पर व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार

शमन किया जाता है, को निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(7) इस धारा के अधीन किसी अपराध के शमन का अभियुक्त की, जिसके लिए अपराध का शमन किया गया है, दोषमुक्ति का प्रभाव होगा ।

(8) इस उपधारा के अधीन किसी अपराध का इस धारा में यथाउपबंधित के सिवाय शमन नहीं किया जाएगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

31. (1) कोई न्यायालय, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक द्वारा या उसकी पूर्व लिखित अनुमति से किए गए परिवाद के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद, उस तारीख से जिसको अपराध, यथास्थिति, सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक की जानकारी में आया है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा । 2023 का 46

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

32. (1) धारा 25 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14 या धारा 17 के अधीन किसी नियम को बनाने में किसी नियम के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपबंध कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, भारत सरकार के उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों को ऐसी संख्या में, जितनी वह आवश्यक समझे, ऐसी रीति में, जैसा कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाए, उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिनिर्णीत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति करते समय उस क्रम में उनकी अधिकारिता भी विनिर्दिष्ट करेगी ।

(4) जहां ऐसे पदाभिहित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा उल्लंघन की प्रकृति का, नियमों के ऐसे उपबंध का, जिसका उल्लंघन किया गया है और ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए कारणों का कथन करते हुए ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परंतु पदाभिहित अधिकारी, कोई शास्ति अधिरोपित करने से पहले ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा :

परंतु उपधारा (4) के अधीन पदाभिहित अधिकारी शास्ति अधिरोपित करने के लिए अग्रसर नहीं होगा यदि इस अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित करने से भिन्न कोई कार्रवाई समान हेतुक पर समान उपबंध का उल्लंघन करने के लिए संस्थित की गई है ।

अपील ।

33. (1) धारा 19 की उपधारा (2) या धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रथम अपील

अधिकारी, जो जिस अधिकारी ने आदेश पारित किया है, से पंक्ति में उच्चतर है, को अपील कर सकेगा ।

(2) प्रथम अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करते हुए, उपांतरित करते हुए या अपास्त करके, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति मामले पर अधिकारिता रखने वाले द्वितीय अपील अधिकारी, जो प्रथम अधिकारी से पंक्ति में उच्चतर है, को अपील कर सकेगा ।

(4) द्वितीय अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करते हुए, उपांतरित करते हुए या अपास्त करके, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी महानिदेशक, नागर विमानन या महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी ।

(6) जब उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई और अपील नहीं की जाएगी ।

(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे दस्तावेजों और यथाविहित फीस के साथ, जो विहित की जाए, पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी :

परन्तु उक्त अवधि का कारणों को लेखबद्ध करते हुए तीस दिन से अनाधिक और अवधि तक विस्तार किया जा सकेगा ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

नियमों का प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाना ।

34. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्त से छूट दे सकेगी ।

नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

35. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

न्यायालय की समपहरण का आदेश देने की शक्ति ।

36. जहां कोई व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है, वहां वह न्यायालय जिसके द्वारा वह सिद्धदोष ठहराया गया है, यह निदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, वायुयान या वस्तु या पदार्थ, जिसकी बाबत अपराध

किया गया है, केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगा ।

ध्वंस और उद्धारण ।

37. (1) ध्वंस और उद्धारण से सम्बन्धित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग 13 के उपबन्ध समुद्र या ज्वारीय जल पर या उनके ऊपर के वायुयान को वैसे ही लागू होंगे जैसे पोत को लागू होते हैं, और वायुयान का स्वामी वायुयान द्वारा की गई उद्धारण सेवाओं के लिए युक्तियुक्त इनाम का वैसे ही हकदार होगा जैसे पोत का स्वामी होता है । 1958 का 44

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त उपबन्धों के वायुयान को लागू होने में ऐसे उपान्तरण कर सकेगी जैसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

उन वायुयानों पर जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पेटेन्टकृत आविष्कार का उपयोग ।

38. पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबन्ध किसी वायुयान पर, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्रयुक्त आविष्कार उसी रीति से लागू होंगे जैसे वे विदेशी यान में प्रयुक्त आविष्कार को लागू होते हैं । 1970 का 39

कतिपय वादों का वर्जन ।

39. किसी भी सिविल न्यायालय में अतिचार या न्यूसेन्स की बाबत कोई वाद किसी वायुयान की किसी सम्पत्ति के ऊपर भूमि से इतनी ऊंचाई के उड़ान के ही आधार पर, जो वायु, मौसम और मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए युक्तियुक्त है, या केवल ऐसी उड़ान से होने वाली सामान्य घटना के आधार पर नहीं लाया जाएगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

40. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

अधिनियम के लागू होने की व्यावृत्ति ।

41. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश या धारा 13 या धारा 14 के अधीन बनाए गए नियम से भिन्न, किसी नियम की कोई बात संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना के स्वामित्व में या के द्वारा अनन्यतः नियोजित वायुयान को या की बाबत अथवा ऐसे वायुयान के संबंध में नियोजित ऐसे बलों के किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी :

परंतु संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना के वायुयानों से भिन्न संघ के किसी सशस्त्र बल का कोई वायुयान, जिसके लिए अधिनियम, जिसका धारा 43 के अधीन निरसन कर दिया गया है और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को लागू थे, द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा उस तारीख तक, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शासित होना जारी रहेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

1934 का 22

43. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 का निरसन किया जाता है ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी की गई कोई बात या की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत किसी नियम, विनियमन, अधिसूचना, निरीक्षण या आदेश का किया जाना या जारी किया जाना सम्मिलित है ; या अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, अनुमोदन, अनुज्ञा या छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखत ; या जारी किया गया कोई निदेश ; या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित शास्ति, दंड, समपहरण या जुर्माना, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, समझी जाएगी ।

1897 का 10

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट मामलों का वर्णन साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 की ऐसी अपील के प्रभाव के संबंध में साधारण लागू होने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) को प्रवृत्त हुआ था । इसे वायुयान के विनिर्माण, कब्जा, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, निर्यात और आयात के नियंत्रण के लिए बेहतर उपबंध बनाने हेतु अधिनियमित किया गया था ।

2. भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर और उसके ऊपर के वायु स्थान में सिविल वायु यातायात का विनियमन, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और विदेशी वायु वाहकों का विनियमन सम्मिलित है, भारत सरकार का स्वयंभू कृत्य है और इसे अंतर्राष्ट्रीय विनियमों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करार तथा ठहराव, जिनमें भारत एक संविदाकारी पक्षकार है या जिनमें भारत सम्मिलित हुआ है या भारत ने संपुष्टि की है, को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के अधीन प्रभावी किया गया है ।

3. वायुयान अधिनियम, 1934 का सुरक्षा सावधानी को बढ़ावा देने के लिए विमानन क्षेत्र की भरणीय वृद्धि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अनेक बार संशोधन किया गया है । नब्बे वर्ष की कालावधि के दौरान अनेक संशोधनों के परिणामस्वरूप पणधारियों द्वारा अनुभव की गई अस्पष्टताओं और भ्रम को दूर करने, अनावश्यकता को हटाने, कारबार करने की सरलता और पूर्वोक्त अधिनियम को विधेयक के रूप में अर्थात् भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के नाम से पुनः अधिनियमित करने के लिए है ।

4. भारतीय वायुयान विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ,—

(क) वायुयान और संबंधित उपस्कर के डिजाइन, विनिर्माण और अनुरक्षण का उपबंध करने ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को कारबार की सरलता का उपबंध करने के लिए रेडियो टेलीफोन प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति जारी करने का विनियमन करने हेतु सशक्त करने ;

(ग) केन्द्रीय सरकार को अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय और नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित अन्य मामलों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने ;

(घ) केन्द्रीय सरकार को लोक सुरक्षा या प्रशान्ति के हित में आपातकाल में आदेश जारी करने के लिए सशक्त करने ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित रीति में हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर का संदाय करने का उपबंध करने ;

(च) प्रतिकर, अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन और शास्तियों के न्यायनिर्णयन से संबंधित विषयों से संबंधित मामलों के विरुद्ध अपील का उपबंध करने ;

(छ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कारावास, जुर्माना या शास्तियों का उपबंध करने ;

(ज) विसंगतियों और निर्थकताओं को दूर करने के लिए ;

(झ) वायुयान अधिनियम, 1934 का निरसन करने और उक्त अधिनियम के अधीन किए गए कृत्यों की व्यावृत्ति का उपबंध करने ; और

(ञ) प्रस्तावित विधान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य विनियामक उपबंधों के लिए है ।

5. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करता है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली;
24 जुलाई, 2024

राममोहन नायडू किंजरापु

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 संक्षिप्त नाम तथा विस्तार का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 2 प्रयुक्त विभिन्न निबंधनों और पदों को परिभाषित करता है ।

विधेयक का खंड 3 सिविल विमानन महानिदेशक की सुरक्षा तथा विनियामक अन्वेक्षा और विनियामक कृत्यों, के लिए नियुक्ति तथा सिविल विमानन महानिदेशक की शक्तियों का किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजन के उत्तरदायित्व के लिए सिविल विमानन महानिदेशालय का गठन उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 4 भारत की सुरक्षा के हित में या वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए जारी करने हेतु सिविल विमानन महानिदेशक की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5 सिविल विमानन सुरक्षा, सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक की नियुक्ति तथा सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक की शक्तियों का किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजन करने से संबंधित विषयों के संबंध में विनियामक तथा अन्वेक्षा कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए सिविल विमान सुरक्षा ब्यूरो के गठन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 6 भारत की सुरक्षा के हित में या सिविल विमानन वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निदेशों को जारी करने हेतु सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 7 वायुयान की दुर्घटना या घटना के अन्वेषण के लिए, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक की नियुक्ति तथा वायुयान दुर्घटना अन्वेषण, ब्यूरो के महानिदेशक की शक्तियों का अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजन करने के लिए, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का गठन उपबंधित करता है ।

विधेयक का खंड 8 अधिनियम के अधीन गठित कानूनी प्राधिकारियों के संपूर्ण निरीक्षण के प्रयोग के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 9 खंड 4 के अधीन सिविल विमानन महानिदेशक या खंड 6 के अधीन सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए महानिदेशक द्वारा पारित आदेशों के पुनर्विलोकन तथा ऐसे पुनर्विलोकन पर जारी निदेशों की अनुपालना के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 10 किसी वायुयान या वायुयान की श्रेणी के डिजाइन, विनिर्माण, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात या निर्यात के विनियमन के लिए नियमों को बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार की साधारण शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 11 शिकागो अभिसमय, 1944 तथा अंतरराष्ट्रीय दूरसचार अभिसमय के कार्यान्वयन और शिकागो अभिसमय से उपाबद्ध मानक तथा सिफारिश की गई पद्धतियों के कार्यान्वयन और रेडियो टेलीफोनिक निर्बंधित प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्तियों को जारी करने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 12 वायुयान की दुर्घटना या घटना के अन्वेषण के लिए नियमों को बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 13 लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को समर्थ करता है ।

विधेयक का खंड 14 लोक स्वास्थ्य की संरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की आपातकालीन शक्तियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 15 लोक सुरक्षा या प्रशांति के हित में आपातकालीन आदेशों को जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ करता है ।

विधेयक का खंड 16 किसी विमानक्षेत्र पर या किसी विमानक्षेत्र पर किसी वायुयान में पाई गई अदावाकृत संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा तथा पुन: परिदान को संरक्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने हेतु शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 17 वायुयान को निरुद्ध करने तथा वायुयान के ऐसे निरुद्धीकरण के लिए शर्तों तथा वायुयान निरुद्ध करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए आनुषंगिक या समनुषंगी सभी विषयों के विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 18 वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए भवनों के निर्माण, वृक्षारोपण आदि को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 19 अधिनियम के उपबंधों की अननुपालना के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को निर्बंधित, निलंबित या रद्द करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 20 लोकहित में किसी वायुयान या वायुयान की श्रेणी तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को छूट अनुदत करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 21 केन्द्रीय सरकार द्वारा, सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित करने की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 22 भवन, संरचना आदि को तुड़वाने के आदेश के कारण हुई हानि या क्षति और माध्यस्थम् के लिए उपबंध, जहां पक्षकारों के बीच करार द्वारा प्रतिकर की रकम नियत नहीं की जा सकती, के लिए प्रतिकर के अवधारण तथा संदाय की रीति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 23 भवन, संरचना, आदि तुड़वाने के आदेश के कारण हुई हानि या क्षति के लिए प्रतिकर के संबंध में खंड 22 के अधीन माध्यस्थम् पंचाट से अपील के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 24 इस के अधिनियम के खंड 22 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ की शक्तियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 25 इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 26 संकटकारी उड़ान के लिए शास्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 27 इस अधिनियम के खड 4 या खंड 6 के अधीन जारी निदेश

के उल्लंघन के लिए शास्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 28 इस अधिनियम के खंड 18 के अधीन जारी निदेशों की अनुपालना की असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 29 अपराधों के दुष्प्रेरण और प्रयतित अपराधों के लिए शास्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 30 अपराधों के शमन की कार्यवाही और शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 31 सिविल विमानन महानिदेशक या सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक की पूर्व अनुमति द्वारा या से की गई शिकायत पर केवल न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान लेने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 32 पदाभिहित अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया और वित्तीय शास्ति के अधिरोपण तथा दोहरी सजा से संरक्षण की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 33, खंड 19 के उपखंड (2) के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील से संबंधित उपबंधों और खंड 32 की उपखंड (4) के अधीन उसकी प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 34 लोक मत के लिए विचार हेतु नियमों के पूर्व प्रकाशन और लोक हित में पूर्व प्रकाशन की अपेक्षा से छूट का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 35 यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को संसद् के समक्ष रखा जाएगा ।

विधेयक का खंड 36, खंड 25 के उपखंड (1) या इस अधिनियम के खंड 10 के उपखंड (2) की मद (द) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि पर न्यायालय के संपहरण आदेश की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 37 तलाशी और बचाव में लगे हुए किसी वायुयान द्वारा ध्वंस और उद्धारण के लिए दी गई उद्धारण सेवाओं के लिए समुचित पुरस्कार के संदाय का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 38 भारत में रजिस्ट्रीकृत न किए गए किसी वायुयान पर किसी खोज के उपयोग के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपयोग का ऐसी रीति में मानो वह किसी विदेशी जलयान पर किसी खोज के लिए लागू होता है, उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 39 केवल युक्तियुक्त ऊंचाई पर किसी संपत्ति पर वायुयान के ऐसी उड़ान या भूमि से ऐसी उड़ान में युक्तियुक्त ऊंचाई पर मामूली घटना के कारण अतिचार या न्यूसेन्स की बाबत कतिपय वादों के वर्जन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 40 इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक किए गए कृत्यों के लिए अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियों से व्यावृत्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 41 उपबंध करता है कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश या नियम की कोई बात खंड 13 या खंड 14 के अधीन बनाए गए नियम से भिन्न, किसी नियम की कोई बात संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना के स्वामित्व में या के द्वारा अनन्यत: नियोजित वायुयान को या की बाबत या ऐसे

वायुयान के संबंध में नियोजित ऐसे बलों के किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, परंतुक उपबंध करता है कि संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना के वायुयानों से भिन्न संघ के किसी सशस्त्र बल का कोई वायुयान, जिसके लिए अधिनियम, जिसका धारा 43 के अधीन निरसन किया जा रहा है और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को लागू थे, द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा उस तारीख तक, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शासित होना जारी रहेगा ।

विधेयक का खंड 42 इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाईयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 43 वायुयान अधिनियम, 1934 के निरसन का और उक्त अधिनियम के अधीन किए गए कृत्यों की व्यावृत्ति का उपबंध करता है ।

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के लिए संशोधित वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में वायुयान अधिनियम, 1934 को निरस्त करने और पुनः अधिनियमित करने का प्रस्ताव है। वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) पहले से ही मौजूद हैं। इन निकायों का व्यय वार्षिक सरकारी बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

2. जन स्वास्थ्य की सुरक्षा, और नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे के निर्धारण और भुगतान के तरीके के संबंध में केंद्रीय सरकार की आपातकालीन शक्तियों संबंधी प्रावधान, वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत पहले से मौजूद हैं और उक्त धाराओं में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप सरकार के नियमित कामकाज के दौरान वैधानिक कार्यों के निर्वहन में व्यय हो सकता है, जिसे वार्षिक बजटीय सहायता से पूरा किया जाएगा। तथापि, इस स्तर पर किसी भी वित्तीय अनुमान को मापा नहीं जा सकता है।

3. वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत वैधानिक निकायों के रूप में गठित नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के व्यय को वार्षिक बजटीय सहायता से पूरा किया जाता रहेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के लिए बजट आवंटन पूंजी राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 357.50 करोड़ रुपये और पूंजी शीर्ष के अंतर्गत 38.20 करोड़ रुपये है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 10, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सरकार को, किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग की परिकल्पना, विनिर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात या निर्यात का विनियमन करने वाले तथा वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 11 का उपखंड (1), केन्द्रीय सरकार को ऐसे नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अन्तरराष्ट्रीय सिविल विमानन से संबंधित, समय-समय पर यथासंशोधित, अभिसमय को (जिसमें, अन्तरराष्ट्रीय मानकों और सिफारिश की गई पद्धतियों से संबंधित, उसका कोई उपाबन्ध भी है) क्रियान्वित करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों । उक्त खंड का उपखंड (2), केन्द्रीय सरकार को ऐसे नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो समय-समय पर यथा संशोधित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय के लागू उपबंधों के अनुसार, जो वायुयान के प्रचालन और रखरखाव में नियोजित व्यक्तियों को रेडियो दूरभाष प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति, जारी किए जाने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

विधेयक का खंड 12, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सरकार को, भारत में या भारत के ऊपर किसी भी वायुयान, या भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के कहीं भी, विमानचालन के दौरान या विमानचालन से उद्भूत दुर्घटना या घटना के अन्वेषण का उपबंध करने के लिए, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 13, केन्द्रीय सरकार को, किसी विमानक्षेत्र पर आने वाले या स्थित होने वाले किसी वायुयान से लोक स्वास्थ्य को किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के प्रवेश या फैलाने से होने वाले संकट को रोकने के लिए और किसी विमानक्षेत्र से प्रस्थान करने वाले किसी वायुयान के माध्यम से संक्रमण या ससर्ग के प्रवहण को रोकने के लिए और विशिष्ट रूप से और इस उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी वायुयान या विमानक्षेत्र या किसी विनिर्दिष्ट विमानक्षेत्र की बाबत उन विषयों का उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी जिनके लिए भारतीय पतन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (त) के उपखंड (i) से लेकर (viii) तक के अधीन यानों या पतनों के विषय में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 14 का उपखंड (2), केन्द्रीय सरकार को, वायुयान और उसमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों या ले जाई जाने वाली वस्तुओं और विमानक्षेत्रों की बाबत, ऐसे अस्थायी नियम बनाने के लिए, जैसे वह उन परिस्थितियों में आवश्यक समझे, सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 16, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सरकार को ऐसे नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जिनमें उस सम्पत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा तथा पुन: परिदान सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, जो किसी विमानक्षेत्र पर अथवा किसी विमानक्षेत्र पर किसी वायुयान में उचित अभिरक्षा विहीन पाई जाए ।

विधेयक के खंड 17 का उपखंड (2), केन्द्रीय सरकार को, वायुयान को निरुद्ध करने की शक्ति के प्रयोग के आनुषंगिक या समनुषंगी सभी मामलों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 19, केन्द्रीय सरकार को, ऐसी रीति का उपबंध करने के लिए

नियम बनाने हेतु सशक्त करता है, जिसमे केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, कोई निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा या अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को जारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को निलंबित या रद्द कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 28, केन्द्रीय सरकार को, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, किसी भवन या संरचना को हटवाने या किसी वृक्ष को कटवाने अथवा ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 30 का उपखंड (1), केन्द्रीय सरकार को, उस रीति का, जिसमें और रकम, जिसके लिए अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपराध दंडनीय है, का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (4) केन्द्रीय सरकार को, उस रीति का, जिसमें किसी अपराध का शमन करने के लिए कोई आवेदन किया जाएगा, उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए भी सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 32 का उपखंड (2), केन्द्रीय सरकार को उस रीति का, जिसमे पदाभिहित अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 33 का उपखंड (7), केन्द्रीय सरकार को, परूप और रीति का, जिसमें अपील फाइल की जाएगी तथा दस्तावेज और फीस जो उसके साथ लगेगी, का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय है और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत., विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।